



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-159/ 768

रायपुर, दिनांक 12/03/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन

VCA के सामने, सिविल लाईन

नागपुर - 440001

विषय: - Diversion of 70.782 ha. Of forest land in favour of CSPTCL for construction of 220 KV Jagdalpur-Barsoor Transmission Line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bastar and Dantewada Districts in the State of Chhattisgarh.

- पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/TRANS/ 23475 / 2017

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-25/2018-NGP/ 3302 दिनांक 21.02.2018

2. अ.प्र.मु.व.संरक्षक जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/ व.त.अ/ 615 दिनांक 09.03.2018

-0-

संदर्भित पत्र - 1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से अ.प्र.मु.व.संरक्षक, जगदलपुर वन वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	2	3
i.	Name of Signing authority has not been mentioned in Part-II (Bastar Forest Division) and Part-III of Form-A. Further date of Submission has not been mentioned in Part-I and Part-II (Dantewada Forest Division).	वनमंडलाधिकारी बस्तर/दन्तेवाड़ा वनमण्डल, का Form-A Part-II में हस्ताक्षर अंकित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-1)।
ii.	Detail of area available for plantation of dwarf species, preferably medicinal in the clearnce available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.	कंडक्टर के दोनों ओर औषधीय वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया गया है। (संलग्नक-2)।
iii.	Part-I submitted online mentioned the period for which diversion is sought as 0 years. Exact period for which diversion is being sought by the User Agency should be indicated by the User Agency and submitted to the Regional Office.	आवेदक विभाग द्वारा Form-A Part-I में ऑनलाईन में 0 वर्ष के स्थान पर सुधार कर 50 वर्ष अंकित कर दिया गया है।

iv.	Details of survey numbers pertaining to the non-forest land have not been provided. the same needs to be submitted along with certificate from the DCF concerned that survey number pertaining to the non- forest land does not falls into the deemed forest category on which of Forest. (Conservation) Act, 1980 are applicable.	गैर वन भूमि का सर्वे नंबर का राजस्व विभाग से सत्यापन कराकर मूलतः संलग्न है (संलग्नक-3) ।
v.	Map. depicting the alternative alignments explored by the User Agency has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत पारिषण लाईन से संबंधित मानचित्र तथा 03 विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में कंडिका क्र/43 संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-4) ।
vi.	Certificate from the DCF concerned regarding location of the project outside the PAS has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत लाईन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजर रही है, परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में आता है। पूर्ण विवरण कंडिका क्रमांक - viii के पालन में संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के पत्र क्रमांक 248 दिनांक 16.01.2018 पर भी उपलब्ध है।
vii.	Cost-Benefit analysis has to be done as per MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017 State Government may be asked for Submission of same as per the MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017.	नवीनतम दिशा निर्देशानुसार COST BENEFIT ANALYSIS प्रस्ताव में प्रेषित किया गया है। पुनः छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-5) ।
viii.	It has been mentioned that proposed alignments is passing through the area within 10 km buffer from kanker National Park. Hence, comments of PCCF, Wildlife may be obtained regarding any adverse impact on local wildlife due to proposed tranmission line.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा) सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा उनके पत्र क्र/248 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रस्ताव में अभिमत दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 कि.मी. की परिधि में पार्क बाउण्ड्री से होकर गुजर रही है, जिससे पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को कोई भी नुकसान की संभावना नहीं है। इस पत्र की Part I, II, III सहित छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-6) ।
ix.	Detalls of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	प्रस्ताव में कंडिका क्रमांक/7 Form IV के I. Project Detail (VI) में रोजगार उत्पन्न होने का विवरण दिया गया था। पुनः छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-7) ।

X.	Copy of undertaking from the User Agency and maps showing the alternate alignment by passing the forest land in accordance with the MoEF&CC's Guidelines dated 07.01.2013 has not been submitted along with the proposal.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 239 कड़िका क्रमांक 43 का अवलोकन करने का अनुरोध है, जिस पर 3 विकल्पों का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध है। 3 विकल्पों के नक्शे पूर्व में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किये गये थे जिसे सुविधा हेतु पुनः संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-8)।
----	---	--

उपरोक्तानुसार अ.प्र.मु.व. संरक्षक, जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर से प्राप्त उपरोक्त जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न:- परिशिष्ट-संलग्नक 1 से 8 की छाया प्रति

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-159/ 769
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 12/03/2018

1. अ.प्र.मु.व.संरक्षक जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, 400 के. व्ही लाईन निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
O/C छत्तीसगढ़